समाचार-प्रकाशनार्थ:-

मास्क और दो गज की दूरी की अह मयत समझे
शहर के प्रमुख चौराहों पर नगर निगम ने दिया कोरोना से बचाव का संदेश

रतलाम 14 अप्रैल । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क को वड-19 महामारी के समय में सभी को गाईड लाईन का पालन करना चाहिए। यह समय वशेष सावधानी बरतने का है। ऐसे में मास्कए दो गज की दूरी और सैनेटाईजेशन का वशेष महत्व है। जिला व नगर निगम प्रशासन जनता को जागरुक करने के वशेष प्रयास सतत जारी रखे हुए है। जनता को इस अ भयान में सहयोग देकर अपने और अपने परिवार को कोरोना से बचाने के लए वशेष सावधानी बरतना होगी।

कलेक्टर व निगम प्रशासक गोपालचंद डाड और निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में अब ना कोई बहाना-मास्क है लगाना अ भयान के तहत बुधवार को शहर के प्रमुख चौराहों पर सफाई मत्र समूह ने रांगोली के माध्यम से लोगों से कोरोना से बचाव का संदेश दिया है।

इस मौके पर आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क अगर कसी को खांसी और जुकाम है तो मास्क अवश्य पहनें. भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क अवश्य पहनें. कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज की देखभाल कर रहे हैं तो मास्क लगाएं. मास्क पहनने से पहले हाथ अच्छी तरह साफ करें. मुंह और नाक को मास्क से पूरी तरह से ढंकें. मास्क पहनते समय मुंह और नाक के पास कोई गैप ना रखें. मास्क पहनने के बाद इसे हाथों से ना छूएं. यदि मास्क छू लया है तो हाथों को तुरंत साफ करें. एक मास्क इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल ना करें. मास्क को बार-बार छूने से बचें. यदि आप स्वस्थ हों तो मास्क पहनने से बचें. मास्क को अपने गले पर ना लटकाएं. अगर मास्क गीला हो जाए तो उसे 6 घंटे के अंदर बदल दें. जैसे मास्क पहनने का सही तरीका हैए वैसे ही उतारने का भी. मास्क को कभी भी बाहर की तरफ से हाथ ना

लगाएं. मास्क को पीछे से उतारे और डस्टबीन में डाल दें. मास्क उतारने के बाद हाथ सैनिटाइज करें.

बचाव का बेहतर तरीका है मास्क

कोरोना वायरस संक्रमण से जंग जीत ली है तो इस लाइलाज बीमारी से सुर क्षत रहने का एकमात्र उपाय है क हम एक दूसरे से शरीर दूरी बना कर रहे और मास्क अनिवार्य रूप से पहने। मास्क वर्तमान में कोरोना से बचाने में वैक्सीन जैसी भू मका निभा रहा है। मास्क की उपयो गता जानने के बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं जब क सजगता ही इस महामारी से सुर क्षत रख सकती हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिदिन कया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 14 अप्रैल। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सो डयम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज कया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व टे्क्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कोंए ग लयोंए भवन आदि को 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज कया जा रहा है। 14 अप्रैल बुधवार को थावरिया बाजारए सेठजी का बाजारए रामदेवजी की घाटीए कोठारीवासए नागरवासए पैलेस रोडए डालूमोदी बाजार आदि क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन कया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मे डकल कॉलेजए माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रए शासकीय कार्यालय आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य कया जा रहा है।

नगर के सेनेटराईज कये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य कया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व ना लयों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कया जा रहा है।

मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना

रतलाम 14 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोवड-19 ;नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधनियम-1949 के अन्तर्गत कोवड-19 ;नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधसूचत कया गया है। उक्त बीमारी संक्रमत वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमत व्यक्ति के छींकनेए खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य कया गया है। नागरिकों से अपील है क वे अनिवार्य रूप से मास्क लगायें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम नगर बनेगा नम्बर 1

नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्डो में घर-घर से कया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

रतलाम 14 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी कया जा रहा है इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके है नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डो की सड़कोंए गलयों एवं नालयों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरोए दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पकर्स

महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग कया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कया जाकर रैग पकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित कया जा रहा है।
वार्डो में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित कया गया। नागरिकों से अपील जाती है क वे अपने घरो एवं दुकानांे से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।
निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे्र चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रीनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही

जानकारी प्राप्त होने पर संबंधत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये।

निगम अधकारी एवं कर्मचारी कोरोना का
दुसरा टीका अनिवार्य रूप से लगवायें

रतलाम 14 अप्रैल। नगर निगम के अधकांश अधकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का दुसरा टीका लगवा लया है कन्तु कुछ अधकारी एवं कर्मचारी दुसरे चरण के टीके से वंचत है वे अपनी व अपनों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से टीका लगवायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क कोरोना जैसी महामारी से आप सभी सुरक्षत रहे यह शासन एवं नगर निगम का उद्देश्य है । टीकाकरण से शेष रहे अधकारी एवं कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। ऐसे अधकारी एवं कर्मचारी जो क टीकाकरण में रूच नहीं दिखा रहे है उनके वरूद्ध नगर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 14 अप्रैल । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-नालयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले

मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 14 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 14 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 14 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/14ण्04ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.